

[मौलाना अबेदुल्ला खान अजमी]

संघर्षों के तमाम धर्मस्थलों को तोड़कर अपनी-अपनी मस्जिदों के ऐतबार से यह कारोबार हो रहा है, यह बेईमानी बंद होनी चाहिए ।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : افسوس کہ ہمارے
 ملک کو تمام ماحول کے لیے ایسی ہی حالتوں کا سامنا
 کرنا پڑ رہا ہے جو ہندوستان کا بہت کم ممالک میں
 دیکھا جاتا ہے۔ اس کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ
 بڑی مسجید پر ہے ایمان دہانہ کی کہ جسے
 بنایا جاتا ہے۔ مداخلت : یہ ہے ملک میں
 ایسی ہی حالتوں کے تمام ماحول کے لیے توڑ کر
 اپنی اپنی مریضی کے اعتبار سے یہ کام ہوا
 ہے۔ یہ ہے ایمان بند ہونے کا نتیجہ۔

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : (मध्य प्रदेश) : हर चीज में बाबरी मस्जिद, हर चीज में बी०जे०पी० ।

मौलाना अबेदुल्ला खान अजमी :
 मैं बी०जे०पी० का नाम तो नहीं लिया
 ... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय गौतम जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे ।

DROUGHT CONDITIONS IN SOME PARTS OF UTTAR PRADESH

श्री राम नरेश यादव : (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं एक गंभीर प्रश्न की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, विशेष रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र, ये दोनों जिले बहुत बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं। यहां तक स्थिति हो गई है कि अब भुखमरी की स्थिति वहां पर हो रही है। वर्षा हुई नहीं, खेती होने का सवाल नहीं है विशेष रूप से वह क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि हमारे आदिवासी रहते हैं। जंगलों में रहते हैं। पहले तो कभी-कभी वे गुठली और दूसरे जंगली फल-फूल खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। आज वह चीज भी उनके सामने नहीं रह गई है।

महोदय, इस सदन में कई बार दूसरे राज्यों में जहां पर भुखमरी से मौतें हुई हैं। उसकी चर्चा हुई है। इस समय वहां जो स्थिति पैदा हुई है वह बहुत ही भीषण है, खतरनाक है किंतु प्रदेश की सरकार का ध्यान भी उधर नहीं गया है। पिछली सरकार जो थी उसने कुछ भी काम शुरू नहीं किया था जिससे कि वह लोग अपनी कमाई करके रुपया बचा सकें और अपनी जीविका चला सकें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी उधर ध्यान दे और इस तरह से उसको ध्यान देना चाहिए कि एक तो मुफ्त राशन की व्यवस्था वहां पर कराई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बड़े पैमाने पर निर्माण के काम होने चाहिए क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो लोग क्या करेंगे? भुखमरी के शिकार होकर मरने लगेंगे उसी समय सरकार चेतनी। इसलिए यह भी एक सवाल है और हमारा यह भी आपके माध्यम से आग्रह है कि केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि वहां पर अधिकारी तुरंत जाएं और वहां पर युद्ध स्तर पर उनको राहत पहुंचाने के लिए जो भी संभव हो सके वह कदम उठाएं ताकि लोग भुखमरी के शिकार होने से बच सकें। यह इंसानियत का भी सवाल है मानवता का सवाल है। इ

सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन प्रश्नों को गंभीरता से लें और तत्काल वहाँ राष्ट्रपति का पद धारण के लिए कदम उठाएँ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : महोदय, श्री राम नरेश यादव जी के विशेष उल्लेख से मैं अपने आपको संबद्ध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मिर्जापुर ऐसा इलाका है जहाँ आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। एक सोनभद्र जिला है और दूसरा मिर्जापुर जिला है। वहाँ पर अकाल की स्थिति है। पहले ही भुखमरी के कगार पर वहाँ के लोग हैं। अब चूँकि वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले की ओर गंभीरता से ध्यान दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, we will take up the Statutory Resolution disapproving the Multimodal Transportation of Goods Ordinance, 1993 and the Multimodal Transportation of Goods Bill, 1993, together.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS ORDINANCE, 1993.

II. THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS BILL, 1993.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim): The BAC has discussed it and decided that we will pass the Bill without any further discussion, because we had already discussed it in the last session. Shri Satya Prakash Malaviya to move the Resolution.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

“यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि

परिवाहन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।”

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि कितनी परिस्थितियों में यह अध्यादेश लाना पड़ा और यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन मान्यवर, यह सरकार अध्यादेशों के जरिए कानून बनाना चाहती है। पिछला सब जो खत्म हुआ उसके बाद नया सब शुरू हुआ। इस बीच में 24 अध्यादेश इस सरकार ने इस सदन के पटल पर रखे। यह सही है कि वर्तमान विधेयक जो पारित होने जा रहा है यह पहले अध्यादेश पारित हो गया था 16 अक्टूबर, 1992 को और उसके बाद राज्य सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 30 नवंबर, 1992 को और राज्य सभा ने इस विधेयक को 22 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया था और उसके बाद चूँकि लोक सभा से यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को 2 जनवरी, 1993 को अध्यादेश लाना पड़ा।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह अध्यादेश निरस्त हो जाता तो उसका कोई असर नहीं होता। सब शुरू होने जा रहा था, एक डेढ़ महीने बाद इस विधेयक को सरकार लाकर पारित करा सकती थी। मेरी आपत्ति यह है कि अध्यादेश के जरिए सरकार कानून बना रही है, यह अच्छी परिपाटी नहीं है। इस संबंध में, मैं श्री जी०वी० मावलंकर, जो लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने 25 नवंबर, 1950 को तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री थे भारत सरकार के, उनको एक पत्र लिखा था, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था —

“The procedure of the promulgation of Ordinance is inherently undemocratic. Whether an Ordinance is justifiable or not, the issue of a large number of Ordinances has psychologically a bad effect. The people carry an impression that Government is carried on by Ordinances. The House carries a